न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः–04/2019 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2019/00005)

गरीबा सिंह पुत्र श्री सिरमोहर सिंह जाति गुर्जर निवासी धोधे कापुरा थाना बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 20.9.2018

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 19.7.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.9.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 01/2002 जो दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 21.12.2017 को तहत अदालत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबध में तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1428 दिनांक 13.4.2018 में आवेदक के विरूद्ध आपराधिक मुकदमें का हवाला देते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। जिसके आधार पर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2018 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 01/2002 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 01/2002 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है जो काफी पुराना है । जिसे अपीलान्ट नियमित नवीनीकृत कराता रहा है। अनुज्ञापत्र जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की नियमानुसार पालना की गई है। कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत कराने हेतु नियमानुसार समयावधि में प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2018 को प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 13.4.2018 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को संदिग्ध आचरण मानते हुये चार्जशीट आर पी जी ओ धारा 13 के तहत मुकदमा नम्बर 150/14, 313/14, 317/15 माना है जिनमें अपीलान्ट पर जुर्माना लगाते हुये बरी किया जा चुका है। पूर्व में भी अपीलान्ट का शस्त्र नवीनीकरण होता रहा है। 13 आरपीजीओ का जुर्म संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और न ही अपीलान्ट के खिलाफ आज तक कोई एफ0आई0आर दर्ज हुई है न कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है। ऐसा कोई कार्य अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया जिसमें लाईसेंसी हथियार का दुरूपयोग हुआ हो या शांतिभंग हुई हो या समाज पर संकट आया हो ऐसे किसी भी अपराध का प्रकरण किसी भी पुलिस थाने में अपीलान्ट के खिलाफ दर्ज नहीं है अपीलान्ट का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है । उक्त वर्णित 13 आरपीजीओ के प्रकरणों में भी अपीलान्ट ने स्वयं लोक अदालत की भावना से निर्णय हुआ है और जुर्माना लगा कर अपीलान्ट को बरी किया गया है। इसके अलावा दौराने पारित अपीलान्ट को तहत अदालत ने कोई सुनवाई का मौका भी नहीं दिया है। एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया हैजो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया है इसलिऐ इसकी जानकारी कतई अपीलान्ट को नहीं थी । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है और मोतीझरा की बीमारी से ग्रसित है। अपीलान्ट ने तो केवल अपने परिवार एवं आत्मरक्षा के लिये अनुज्ञापत्र ले रखा है अपीलान्ट एक घर गृहस्थी के साथ सामाजिक जीवन यापन कर रहा है यदि अपीलान्ट की पृष्ठभूमि आपराधिक होती तो आये दिन थाना हाजा पर मुकदमें दर्ज होते लेकिन ऐसा कतई नहीं है । जिस मुकदमों को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है वह मामूली 13 आरपीजीओ के है उनमें भी लोक अदालत की भावना से जुर्माना लगार कर अपीलान्ट को बरी किया जा चुका है जो अपीलाधीन आदेश में अंकित है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों को नजर–अंदाज कर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है जिससे अपीलान्ट को सख्त हक–तलफी पैदा हो गई है। चूंकि अपीलधीन आदेश न्याय, नियम, रिकार्ड, तथ्यों से परे अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था जिसका इल्म अपीलान्ट को कतई नहीं होने दिया गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी में आते ही बिना किसी देरी के अपीलान्ट द्वारा अपील की कार्यवाही की गई है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर

अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय दिनांक 20.9.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था। जिसको नवीनीकृत किये जाने की कार्यवाही के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 13.4.2018 प्राप्त की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के मध्यम से यह स्पष्ट किया कि शस्त्र धारक/अपीलान्ट के विरूद्ध मु0नं0 666/15 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नं0 317/31.10.2015 नतीजा जुर्माना बरी, मु0नं0 713/14 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 372/28.11.2014 नतीजा जुर्माना बरी एवं मु0नं0 150/04 धारा 13आरपीजीओ चार्जशीट नं0 78/ 18.4.2004 नतीजा जुर्माना बरी है। अपीलान्ट के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलान्ट ने अपने नवीनीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में भी उक्त अपराधों का उल्लेख नहीं किया है। अपीलान्ट संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति है जो शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। इसके अलावा यह अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य रहती है क्यों कि अपीलान्ट ने कोई तथ्यात्मक कारण अपने दफा–5 प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 20.9.2018 आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत पारित किया गया है जो विधिसंगत है । अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2018 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद

अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था, जिसे आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 21.12.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा दौराने नवीनीकरण कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहत अदालत द्वारा संभवतः स्वयं की ओर से कोई जांच न करते हुये उक्त रिपोर्ट में अंकित मुकदमों का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 13.4.2018 में अपीलान्ट के खिलाफ मुकदमा दायर होना अंकित है एवं उनका बरी होना भी अंकित है। जिन मुकदमों का हवाला दिया गया है वह 13 आरपीजीओ के है एवं यह भी स्पष्ट है कि उन प्रकरणों में लाईसेंसी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष नहीं आया जिससे यह जाहिर होता हो कि किसी संगीन अपराध का ऐसा कोई प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ दायर हुआ हो अथवा उसमें सजा हुई हो। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में भी लाईसेंसी हथियार के दुरूपयोग अथवा किसी संगीन अपराध का भी हवाला नहीं दिया गया है। तहत अदालत द्वारा माने गये अपीलान्ट के आचरण संबधी शकशुवा की स्थिति को वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये स्पष्ट करने के लिये प्रकरण में हमारे ख्याल से अभी विस्तृत जांच किया जाना अपेक्षित रहता है। ताकि अपीलान्ट के चालचलन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके क्यों कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही मायने रखता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही मानते हुऐ पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुये पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official